न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 143/2020
3. उनवान : सरकार जरिये कैलाश चन्द अग्रवाल प्रवर्तन निरीक्षक

बनाम

श्री रमेश चन्द मीणा उचित मूल्य दुकानदार इ ग्राम पंचायत खडव तहसील कोटपूतली, जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 12.04.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्री कैलाश दत्त शर्मा अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, कोटपूतली, जिला जयपुर श्री कैलाश चन्द अग्रवाल द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 मय फर्द मौका जांच, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि दिनांक 15.09.2009 को पेश की गई। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी को दिनांक 12.09.2009 को श्रीमान जिला रसद अधिकारी, जयपुर के निर्देशानुसार प्रार्थी बहमराह प्रवर्तन स्टॉफ एवं रुबरु मौतबिरान के उचित मूल्य दुकानदार श्री रमेश चन्द मीणा ग्राम पंचायत खडव, तहसील कोटपूतली, जयपुर की जांच हेतु पंहुचे। मौके पर श्री रमेश चन्द मीणा उपस्थित मिले। श्री मीणा की उपस्थिति में दुकान की जांच की गई। उचित मूल्य दुकान पर डीलर के पास 2600 लीटर केरोसीन का प्रारम्भिक स्टॉक था, जिसमें से 508 लीटर केरोसीन का वितरण किया जा चुका था। इस प्रकार दुकानदार के पास 2092 लीटर केरोसीन स्टॉक में होना चाहिये था परन्तु भौतिक सत्यापन करने पर दुकान में 2495 लीटर केरोसीन स्टॉक में पाया गया। इस प्रकार डीलर के पास स्टॉक में 403 लीटर केरोसीन अधिक पाया गया जो डीलर द्वारा वितरण रजिस्टर में फर्जी इन्द्राज कर दुरुपयोग एवं कालाबाजारी में बेचने हेतु बचाकर रखा गया था। डीलर द्वारा इस बाबत कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। इस प्रकार डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अतः मौके पर 2 ड्रमों में पाये गये इस 403 लीटर केरोसीन को जब्त किया गया एवं सुरक्षा की दृष्टि से श्री राधेश्याम यादव पुत्र श्री उमराव प्रसाद यादव उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत शुक्ला का बास तहसील कोटपूतली की सुपुर्दगी में दिया गया। अतः मौके पर श्री रमेश चन्द मीणा द्वारा केरोसीन का अवैध भण्डारण द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त शुदा 403 लीटर केरोसीन मय 2 ड्रम को राजसात (Confiscate) करने का आदेश प्रदान करने एवं जब्त केरोसीन ज्वलनशील, विस्फोटक एवं जनहित के काम आने वाली वस्तु होने से धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

1. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त केरोसीन ज्वलनशील, क्षयशील, विस्फोटक एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6–ए के तहत आदेश दिनांक 15.09.2009 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देशित किया गया कि जब्त केरोसीन का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कराया जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवायें।

अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate • JAIPUR • 2

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

3. अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री कैलाश दत्त शर्मा ने दिनांक 14.10.2009 को वकालतनामा पेश किया। तत्पश्चात लम्बे समय तक सुनवाई पर रखे जाने के बाद भी अप्रार्थी/अभिभाषक द्वारा जवाब पेश नहीं किया और न्याय हित में अनेकों अन्तिम अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर पत्रावली बहस में नियत की गई।

4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा स्टॉक से अधिक मात्रा में प्राप्त केरोसीन के संबंध में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया ना ही इस संबंध में कोई कागजात प्रस्तुत किये। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा केरोसीन का अवैध भण्डारण किया जाना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त शुदा 403 लीटर केरोसीन मय 2 ड्रम को राजसात (Confiscate) करने का आदेश प्रदान करने एवं जब्त केरोसीन मय ड्रम को 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

5. अप्रार्थी/अभिभाषक के लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने के बावजूद पत्रावली बहस पर रखी गयी। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे।

6. हम पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन तथा पैरोकार सरकार की बहस पर मनन करने के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अप्रार्थी के पास जब्त अवैध केरोसीन के संधारण हेतु कोई सम्यक अनुमति और दस्तावेज नहीं हैं तथा कोई आधार भी नहीं है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित पाते हैं।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6–ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है और दिनांक 12.09.2009 को जब्त 403 लीटर केरोसीन मय 2 ड्रम को राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं।

8. जिला रसद अधिकारी जयपुर को आदेशित किया जाता है कि वह राजसात किये गये 403 लीटर केरोसीन मय 2 ड्रम का नियमानुसार अंतिम निस्तारण करें।

9. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर को प्रेषित की जावे। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate (III) JAIPUR

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।